

Sixteenth Lok Sabha

an>

Title: Need to accord approval to the proposal of Government of Gujarat for establishment of Aanganwadi and Mini Aanganwadi centres in the State.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): आंगनबाड़ी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत शिशुओं के विकास के लिए एक सर्वांगीण योजना है। इसमें केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत और राज्य सरकार का 25 प्रतिशत हिस्सा होता है। गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की योजना-2, आईसीडीएस को वर्ष 2013-14 में 198 आंगनबाड़ी तथा 19 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की, कुल मिलाकर 217 की परमीशन के लिए दरखास्त की गयी थी। इसी प्रकार की दरखास्त वर्ष 2014-15 में गुजरात सरकार द्वारा 792 आंगनबाड़ी तथा 728 मिनी आंगनबाड़ी कुल मिलाकर 1520 की दरखास्त की गयी थी। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 में 2015 तक कुल मिलाकर 990 आंगनबाड़ी तथा 747 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों कुल 1737 आंगनबाड़ी केंद्रों की दरखास्त की थी। हाल ही में भारत सरकार से 677 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 215 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी मिल गई है बाकी बची हुई 313 आंगनबाड़ी तथा 532 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी की दरखास्त भारत सरकार के पास लंबित है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि दूर-दूराज इलाकों में तथा नगर ईकाई की गरीब बस्तियों तथा दूर-दूराज में रहने वाले शिशुओं के विकास की टूटती कड़ियों को जोड़ा जाए और शिशुओं की जिन्दगी को संवारा जा सकें। इसलिए जल्द से जल्द बाकी केंद्रों की मंजूरी दी जाए।